

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 37/2015
संस्थित दिनांक-06.11.2008
फाईलिंग नंबर-230303002772009

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

1. अब्बू उर्फ अवरार पुत्र ईशबखॉ उम्र 28 साल
निवासी पुरानी बस्ती पोरसा
2. ध्रुवसिंह पुत्र महेशसिंह सिकरवार उम्र 25 साल
निवासी बड़ेपुरा पी0एस0 पोरसा
-----उपस्थित आरोपीगण
3. पपेन्द्र उर्फ नेता पुत्र सरमनसिंह भदौरिया
निवासी गोपालपुरा पी0एस0 पोरसा
-----फरार अभियुक्त

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।

--:- निर्णय --:-

(आज दिनांक 11 दिसंबर 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण अब्बू उर्फ अवरार एवं ध्रुवसिंह के विरुद्ध धारा 392 सहपठित धारा-398 भा0द0वि0 एवं धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 23.02.09 को दिन के लगभग 12.00बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित जिला भिण्ड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छीमका बूटी कुईया के मध्य फूटे होटल के पास भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर थाना गोहदचौराहा के अंतर्गत उन्होंने दो अन्य सह अभियुक्तों के साथ संयुक्त रूप से केशवसिंह जावटव के आधिपत्य से मोटरसाईकिल क्रमांक- एम0पी0-07एम0एफ0-2744 तथा दो मोबाईल फोन कीमती लगभग रुपये पचास हजार की लूट की तथा लूट के अपराध के अनुक्रम में आग्नेयास्त्र कट्टा का उपयोग किया।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 23.02.2009 को घटनास्थल ग्राम छीमका बूटीकुईया के पास मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना

- क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। तथा यह भी निर्विवादित है कि प्रकरण में आरोपीगण पपेन्द्र के विरुद्ध धारा-299 दप्रसं के अंतर्गत फरारी कार्यवाही कर उन्हें फरार घोषित किया गया है। तथा यह भी स्वीकृत है कि आरोपी ध्रुवसिंह बकपुरा पोरसा का निवासी है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 23.02.09 को फरियादी केशवसिंह अपने दोस्त कल्लू पुत्र रामकिशन जाटव के 173 काली डिस्कवर मोटरसाईकिल नंबर-एम0पी0-07 एमएफ-2744 जिसका इंजिन नंबर-54089 एवं चैसिस नंबर-45739 था, से मेहगांव मेला में गये थे। वहाँ से लौटकर अपने घर वापिस ग्वालियर आ रहे थे। दिन के करीब बारह बजे छीमका एवं बूटीकुईया के बीच फूटे होटल के पास पहुंचे तभी एक काले रंग की स्लैण्डर जिस पर सफेद पट्टी थी बिना नंबर की थी उस पर एक लडका मोटा सा सामान्य कद का पीली शर्ट पहने एवं जीन्स का पेन्ट तौलिया सफेद रंग की बांधे था, एक लडका चैक शर्ट पहने सावला सामान्य कद काठी का तथा एक लडका ब्लैक शर्ट पहने बैठकर आये और उन्होंने उनके बगल में आकर एक ने उसके दोस्त कल्लू का कॉलर पकड़ लिया और उनकी गाड़ी गिरा दी। उनमें से दो लडकों ने उनको कट्टा लगाकर उनका मोबाईल नोकिया - 6070 नंबर-9713533893 तथा उसके दोस्त का मोबाईल 1195 नंबर-9893962772 एवं उसकी मोटरसाईकिल छीन ली और वापिस छीमका तरफ को लेकर भाग गये।
4. उक्त आशय की रिपोर्ट थाना प्रभारी गोहदचौराहा को करने पर अप0क्र0-25/09 पर धारा-392 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 392 सहपठित धारा-398 भा0द0वि0 एवं धारा-13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
- 1- क्या आरोपीगण ने दिनांक 23.03.09 को दिन के करीब 12.00 बजे अन्य फरार अभियुक्तगण के साथ मिलकर डकैती प्रभावित क्षेत्र ग्राम छीमका बूटीकुईया के पास भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर टूटे होटल के पास फरियादी केशवसिंह और अनिल उर्फ कल्लू की मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07 एमएफ-2744 से जाते समय आग्नेय शस्त्र का उपयोग करते हुए उनके साथ मोटरसाईकिल और उनके मोबाईल फोन की लूट कारित की ?

-:-निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 1 का निराकरण

नोट:- प्रकरण में आरोपी पपेन्द्र विचारण के दौरान अनुपस्थित होकर फरार हो गया है इसलिये उसके संबंध में अभी विचारण नहीं होना है इस कारण साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित दस्तावेज प्र0पी0-1, 4 व 13 को मूल्यांकन में नहीं लिया जा रहा है और उससे संबंधित साक्षी नायब तहसीलदार रामनिवास सिंह अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य पर विचार नहीं किया जा रहा है जो पपेन्द्र के निराकरण के समय विचार में लिये जा सकेंगे।

7. इस संबंध में परीक्षित साक्षियों में से प्रकरण के लिये सर्वाधिक महत्व के साक्षी घटना के पीड़ित केशवसिंह जाटव अ0सा0-12 एवं अनिल उर्फ कल्लू अ0सा0-5 हैं इसलिये सर्वप्रथम उनके अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करना न्यायोचित होगा।
8. केशवसिंह अ0सा0-12 ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक 04.12.15 को तीन चार साल पूर्व की शिवरात्रि की दिन की बताते हुए यह कहा है कि उक्त दिनांक को मेहगांव में मेला लगा हुआ था और वह तथा उसका मित्र अनिल मेहगांव में अनिल के लिये लड़की देखने मोटरसाईकिल से गये थे और लड़की देखकर मोटरसाईकिल से ग्वालियर की ओर वापिस जा रहे थे तब ग्राम छीमका के आगे ढाबा के पास तीन लोग एक मोटरसाईकिल से आये और उनके बगल में आकर एक लड़के ने अनिल की कॉलर पकड़ ली जिससे वह चलती हुई मोटरसाईकिल से मय मोटरसाईकिल के गिर पड़े। उनकी गाड़ी धीमी चल रही थी इसलिये उन्हें चोटें नहीं लगीं। फिर तीनों लोगों ने मोटरसाईकिल रोककर कट्टा लगाकर उसके व अनिल के मोबाईल छीने थे। व उनकी मोटरसाईकिल उठाकर एक आदमी ले जाने लगा था। जो रोकने पर नहीं रुका और वह मुड़कर गोहद की ओर चले गये थे। बदमाशों की गाड़ी का कोई नंबर नहीं था। उसका लूट गया मोबाईल नोकिया कंपनी का था। घटना के बाद वह और अनिल एक ट्रक में बैठकर गोहद चौराहा थाने पर आये थे और घटना की उसने प्र0पी0-10 की रिपोर्ट लिखाई थी। फिर पुलिस उनके साथ मौके पर गयी थी और उसके बताने पर पुलिस ने प्र0पी0-11 का नक्शामौका बनाया था। तथा उससे पूछताछ भी की थी। उसने रिपोर्ट में बदमाशों की कद काठी, हुलिया लिखाया था लेकिन घटना काफी पुरानी हो जाने से लूटपाट करने वालों को वह सामने आने पर नहीं पहचान सकता है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि रिपोर्ट उसने अज्ञात लोगों के विरुद्ध की थी और साक्ष्य के समय उसने यह भी कहा कि आज किसी भी आरोपी को वह नहीं पहचान सकता है क्योंकि बदमाशों में से एक मुंह बांध हुए था। जो मुंह खोले हुए था उसे भी वह सामने आने पर नहीं पहचान सकता है।
9. अनिल उर्फ कल्लू अ0सा0-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 30 जून-2015 का घटना पांच वर्ष पुरानी होकर शिवरात्रि के दिन की बताते हुए यह कहा है कि मेहगांव में मेला देखने ग्वालियर से मोटरसाईकिल डिस्कवर से केशवसिंह के साथ गया था और जब लौटकर दिन के करीब 12.00 बजे आ रहे थे तब छीमका गांव के आगे एक स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल पर तीन लड़के बैठे आये थे जिन्होंने कट्टा अड़ाकर उनकी मोटरसाईकिल, मोबाईल और पर्स छीन लिये थे। फिर उसने वहाँ से निकल रही बैगनआर कार वाले को पूरी बात बताई थी जिसने थाना गोहदचौराहा पर सूचना दी थी फिर पुलिस आ गई थी। लूट

करने वालों को वह भी सामने आने पर नहीं पहचान सकता है क्योंकि काफी समय हो गया है। उसने यह भी कहा है कि पुलिस को बदमाशों की कद काठी रंग हुलिया उसने नहीं बताये न ही वह बता सकता है। यह स्वीकार किया है कि एक बार पोरसा जेल में बंसल दरोगा जी के साथ वह आरोपी की पहचान करने के लिये गया था लेकिन उसने जेल में लूट करने वालों को पहचाना था या नहीं पहचाना था यह उसे याद नहीं है। यह भी याद नहीं है कि उसने अब्बू उर्फ अवरार एवं ध्रुवसिंह को पहचाना था या नहीं। एवं प्र0पी0-8 के शिनाख्ती पंचनामा पर वह अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार करता है।

10. कथानक मुताबिक अ0सा0-5 के द्वारा अभियुक्तों की शिनाख्ती कराई जाना बताई गई है जिसका उसने समर्थन नहीं किया है जिसके कारण उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित करते हुए पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी पैरा-2 में उसने यह तो कहा है कि लूटी गई मोटरसाईकिल पल्सर और मोबाईल पुलिस ने जप्त किये थे जो उन्हें वापिस मिल गये थे। उने जेल में आरोपियों की पहचान करने के लिये जाना बताते हुए यह कहा है कि उनमें से जिन आरोपियों को वह पहचान गया था उनमें से एक का नाम अब्बू उर्फ अवरारखों था। किन्तु पैरा-3 में उक्त साक्षी ने कथन परिवर्तित करते हुए ह कहा है कि उनके साथ जिन लड़कों ने घटना की थी वह मुंह बांधे हुए थे और जब बंसल दरोगा जी उसे पहचान कराने के लिये ले गये थे, उन्होंने ही आरोपी अब्बू उर्फ अवरार व ध्रुव के नाम बताये थे। लेकिन वह आरोपीगण को सामने आने पर नहीं पहचान सकता है। लूट गये मोबाईल की कंपनी और सिम नंबर भी नहीं बता सकता। न ही लूटी गई मोटरसाईकिल का चैसिस नंबर बता सकता है। न ही उसने पुलिस को मोटरसाईकिल चैसिस नंबर बताना कहा है। जबकि प्र0डी0-1 के पुलिस कथन में ए से ए भाग में लूटी गई मोटरसाईकिल का चैसिस नंबर और बी से बी भाग में बदमाशों की कद काठी और हुलिया का उल्लेख है और सी से सी भाग में मोटरसाईकिल का नंबर अंकित है। जो वह लिखाने से इन्कार करता है।

11. पैरा-4 में इस साक्षी ने शिनाख्ती कार्यवाही के संबंध में यह कहा है कि प्र0पी0-8 पर हस्ताक्षर तहसीलदार न्यायालय अंबाह में कराये गये थे और शिनाख्ती की कार्यवाही के समय 6-7 लोग थे। अंत में उसने यह कहा है कि हाजिर अदालत आरोपी अब्बू उर्फ अवरार की उसके द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही के समय कोई पहचान नहीं की गई थी और वह अब्बू उर्फ अवरार व ध्रुव को नाम व शक्ल से नहीं जानता है। जबकि शिनाख्ती कराने वाले तत्कालीन नायब तहसीलदार जी0पी0 सगर अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 27.05.09 को तहसील अंबाह में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना गोहद चौराहा के अप0क0-25/09 के आरोपी अब्बू उर्फ अवरार एवं ध्रुवसिंह पुत्र महेससिंह सिकरवार की उपजेल अंबाह में जाकर साक्षी अनिल पुत्र रामकिशन जाटव निवासी ग्वालियर से पहचान कराना और साक्षी अनिल द्वारा सही पहचान करना बताते हुए प्र0पी0-8 का शिनाख्ती मेमोरेण्डम तैयार करना कहा है। शिनाख्ती की कार्यवाही जेल के बरामदे में करना कहा है और यह कहा है कि आरोपियों के अलावा 12 अन्य बंदियों को भी खड़ा किया गया था। अनिल ने आरोपियों की पहचान सिर पर हाथ रखकर की थी। जब वह जेल पर पहुंचा था तब अनिल मेनगेट पर मिला था और पहले वह जेल प्रांगण में पहुंचा था। परेड की पूरी तैयारी करने के बाद फरियादी अनिल का बुलाया गया था। पहले

से अनिल ने आरोपीगण को नहीं देखा था। इस बात से इन्कार किया है कि जेलर के ऑफिस में बैठकर उसने प्र०पी०-8 की कार्यवाही कर ली।

12. इस प्रकार से अ०सा०-2 के मुताबिक साक्षी अनिल के द्वारा पहचान की कार्यवाही उचित रीति से करना बताई है जबकि अनिल अ०सा०-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में पहचान करने से इन्कार किया है बल्कि वह घटना के विवेचक रहे उपनिरीक्षक बी०एल० बंसल के द्वारा आरोपी अब्बू उर्फ अवरार एवं ध्रुवसिंह का नाम पहले से बता दिया जाना कहता है। जिससे बी०एल० बंसल अ०सा०-6 ने इन्कार किया है। केशवसिंह अ०सा०-12 जिसके द्वारा घटना की रिपोर्ट लिखाई गई थी उसके द्वारा विचाराधीन आरोपीगण अब्बू उर्फ अवरार एवं ध्रुवसिंह की पहचान की कार्यवाही नहीं कराई गई है।
13. निरीक्षक आशीषसिंह पंवार अ०सा०-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 23.03.09 को थाना गोहद चौराहा पर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक फरियादी केशवसिंह द्वारा थाने पर आकर अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट किये जाने संबंधी रिपोर्ट लिखाये जाने पर प्र०पी०-10 की एफ०आई०आर० लेखबद्ध कर अप०क्र०-25/09 धारा-392 भा०द०वि० सहपठित धारा-11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत कायमी करना और एफ०आई०आर० पश्चात उक्त दिनांक को ही घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण कर फरियादी केशवसिंह की निशादेही पर प्र०पी०-11 का नक्शामौका तैयार करना तथा फरियादी केशवसिंह जाटव एवं साक्षी अनिल उर्फ कल्लू के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना बताते हुए इस बात से इन्कार किया है कि साक्षियों ने उसे कथन देते समय बदमाशों की कद, काठी व हुलिया नहीं बताया था और सामने आने पर पहचान लेने संबंधी कथन नहीं दिये थे बल्कि उसने सामने आने पर पहचान लेने की बात बताई है। नक्शामौका प्र०पी०-11 के संबंध में केशवसिंह अ०सा०-12 ने अपने अभिसाक्ष्य में अ०सा०-7 का समर्थन किया है।
14. इस प्रकार से उपरोक्त साक्षियों की अभिसाक्ष्य से बताये गये तथ्यों के आधार पर इस बात की पुष्टि तो होती है कि फरियादी केशवसिंह जाटव और अनिल उर्फ कल्लू दिनांक 23.03.09 को दिन के बारह बजे के समय मेहगांव तरफ से मोटरसाईकिल से ग्वालियर की तरफ जा रहे थे। तब उनके साथ रास्ते में ग्राम छीमका के आगे ग्वालियर की तरफ फूटे होटल के सामने भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था जिन्होंने उनके आधिपत्य से मोटरसाईकिल व मोबाईल फोन की लूट की थी। किन्तु लूट करने वाले कौन लोग थे, इस बारे में घटना के पीड़ित केशवसिंह अ०सा०-12 एवं कल्लू उर्फ अनिल अ०सा०-5 के द्वारा स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है और अनिल उर्फ कल्लू अ०सा०-5 ने तो प्र०पी०-8 मुताबिक बताई गई शिनाख्ती की कार्यवाही का खण्डन किया है। पुलिस को आरोपियों का कद काठी हुलिया भी बताने से इन्कार किया है। उसे लूटी गई मोटरसाईकिल और मोबाईल फोन की पूरी जानकारी नहीं है। प्र०पी०-10 की एफ०आई०आर० में बताई गई घटना मुताबिक केशवसिंह और अनिल उर्फ कल्लू बजाज डिस्कवर काले रंग की मोटरसाईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर-एम०पी०-07एमएफ-2744 था तथा जिसका इंजिन नंबर-54089 एवं चैसिस नंबर-45739 था। उससे वे दोनों मेहगांव में शिवरात्रि का मेला देखने गये थे। और लौटकर जब मेहगांव की तरफ जा रहे थे तब उनके साथ लूट की घटना हो गई जिसमें उक्त

मोटरसाईकिल के अलावा उनके दोनों के मोबाईल फोन भी लूटे गये जिनमें केशवसिंह का मोबाईल नोकिया-6070 था जिसमें सिम नंबर-9713533893 डली थी। तथा अनिल के पास नोकिया मोबाईल नंबर-95 जिसमें सिम नंबर-9893962772 डली थी उनकी लूट होना बताया है। लूट करने वाले एक स्लेण्डर मोटरसाईकिल पर आना बताये हैं जिसमें तीन लड़कों का आना बताया है जिनके कद काठी और पहचान सहित कपड़ों का विवरण भी एफ0आई0आर0 में बताया गया।

15. इस तरह से कथानक मुताबिक फरियादी केशवसिंह और अनिल उर्फ कल्लू मेहगांव से मेला देखकर लौट रहे थे। कथानक में घटना वाले दिन शिवरात्रि का त्यौहार भी होना बताय है। मेहगांव में शिवरात्रि का मेला लगने की बात तो दोनों साक्षी अनिल व केशवसिंह बताते हैं किन्तु अनिल के मुताबिक वह शिवरात्रि का मेला देखकर लौट रहे थे जबकि केशवसिंह के मुताबिक वह दोनों अनिल के लिये लड़की देखने के लिये गये थे और लड़की देखकर लौट रहे थे। लड़की देखने जाने वाली बात का कथानक में कोई उल्लेख नहीं है। यह एक विरोधाभाष अवश्य आया है किन्तु दोनों की साक्ष्य में इस बात पर समरूपता है कि वे मेहगांव की तरफ से मोटरसाईकिल से लौट रहे थे तो रास्ते में उनके साथ भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर लूट की घटना हुई। जिसमें उनकी मोटरसाईकिल व मोबाईल फोन लूटे गये। यह उनकी साक्ष्य से तथा एफ0आई0आर0 लेखक की साक्ष्य से प्रमाणित होता है। और नक्शामौका प्र0पी0-11 के भी प्रमाणित होने से लूट की घटना राजमार्ग पर ग्राम छीमका के आगे ग्वालियर की तरफ फूटे होटल के सामने होना भी प्रमाणित है। और घटना दिनांक 23.03.09 को राजस्व जिला भिण्ड में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 की धारा-3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित था जिससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि फरियादीगण के साथ लूट की घटना डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी। किन्तु आरोपीगण उस लूट की घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे, ऐसा उनकी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है क्योंकि प्र0पी0-8 की शिनाख्ती की कार्यवाही पूर्व में नहीं की गई है और उसके संबंध में अ0सा0-2 की साक्ष्य के आधार पर उसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। जब तक कि उसका समर्थन साक्षी अनिल उर्फ कल्लू के द्वारा न किया गया हो।

16. साक्षी कल्लू उर्फ अनिल शिनाख्ती के बिन्दु पर पूरी तरह से अभियोजन के विरुद्ध साक्ष्य देता है जो कि अभियोजन के लिये घातक है ऐसी स्थिति में अन्य साक्षी और अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही यह मूल्यांकित करना होगा कि आरोपीगण का कथित घटना में कोई संबंध या सरोकार रहा है या नहीं और उनके विरुद्ध क्या मामला संदिग्ध है या संदेह से परे प्रमाणित है क्योंकि बचाव पक्ष के तर्क मुताबिक घटना पूरी तरह से संदिग्ध होना बताई गई है कि घटना का किसी भी साक्षी ने समर्थन नहीं किया है कोई पहचान नहीं हुई है। स्वयं कोई जप्ती मेमोरेण्डम प्रमाणित नहीं है। जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा अन्य परीक्षित साक्षियों में से पुलिस साक्षियों की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए आरोपीगण को दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

17. प्रकरण में अन्य परीक्षित साक्षियों में से कोई भी साक्षी आरोपी अब्बू उर्फ

अवरार व ध्रुवसिंह की पहचान के संबंध में सक्षम साक्षी नहीं है इसलिये विचाराधीन दोनों आरोपीगण की पहचान के बिन्दु पर अभियोजन का मामला निर्बल होजाता है ऐसे में अन्य विवेचना के दौरान धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत लिये गये मेमोरेण्डम कथन और उसके आधार पर बताई गई जप्ती के संदर्भ में साक्ष्य की विवेचना करनी होगी और यदि यह पाया जाता है कि जो जानकारी अभियुक्तों द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दी गई उसके आधार पर ही किसी वस्तु की जप्ती हुई तभी घटना से उन्हें जोड़ा जा सकता है।

18. प्रकरण में आरोपी अब्बू उर्फ अवरार और ध्रुवसिंह की दिनांक 10.03.09 को न्यायालय मुरैना से थाना गोहद चौराहा के विचाराधीन मामले में गिरफ्तारी औपचारिक रूप से की जाना, फिर उनके द्वारा पुलिस अभिरक्षा के दौरान पूछताछ करने पर दिये गये मेमोरेण्डम कथन और उसके आधार पर बताई गई जप्ती के आधार पर आरोपीगण को अधिरोपित किया गया है। इस कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज प्र0पी0-2 व 3 के गिरफ्तारी पत्रक आरोपी अब्बू उर्फ अवरार से संबंधित धारा-27 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-5 व 6, आरोपी ध्रुवसिंह के मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-7 तथा अब्बू आरोपी से मोबाईल की बताई गई जप्ती का जप्ती पंचनामा प्र0पी0-9 महत्वपूर्ण है।

19. साक्ष्य के दौरान जो दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं उनमें ध्रुवसिंह के आधिपत्य से कोई वस्तु बरामद होना नहीं बताई गई है। हालांकि ध्रुवसिंह के प्र0पी0-7 के मेमोरेण्डम मुताबिक मोटरसाईकिल उसके घर पर होने की जानकारी दी गई थी किन्तु मोटरसाईकिल की जप्ती का पत्रक जिसमें आरोपी के घर से मोटरसाईकिल बरामद हुई हो ऐसा साक्ष्य में नहीं आया है। इसलिये उक्त दस्तावेजों से संबंधित साक्षियों की सूक्ष्मता से विश्लेषण की आवश्यकता हो जाती है।

20. इस संबंध में परीक्षित साक्षियों में से धीरेन्द्र अ0सा0-3 और महेश ओझा अ0सा0-4 प्र0पी0-9 के जप्ती पत्रक के पंच साक्षी हैं जिन्होंने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पक्ष विरोधी होते हुए अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा दोनों ने ही स्पष्ट रूप से इस बात से इन्कार किया है कि उनके सामने पुलिस ने किसी आरोपी से कोई संपत्ति जप्त की थी। प्र0पी0-9 पर दोनों ने अपने हस्ताक्षर क्रमशः ए से ए एवं बी से बी भाग पर होना अवश्य स्वीकार किये हैं किन्तु उनके संबंध में दोनों का ही यह कहना रहा है कि पुलिस ने उनके कोरे कागजों पर थाने पर हस्ताक्षर करा लिये थे। उनके सामने कोई जप्ती नहीं की गई थी। इस तरह से प्र0पी0-9 के जप्ती पत्रक को पंच साक्षियों से कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है। जबकि प्र0पी0-9 के मुताबिक आरोपी अब्बू उर्फ अवरार से नोकिया एन-95 जिसमें सिम नंबर-9893962772 डली थी, उसे जप्त करना बताया गया है। हालांकि जप्ती के समय सिम डली होने का उल्लेख नहीं किया है।

21. प्र0पी0-9 की जप्ती घटना के विवेचक बी0एल0 बंसल अ0सा0-6 के द्वार की जाना बताया गया है। जिसमें प्र0पी0-9 की कार्यवाही आरोपी अब्बू उर्फ अवरार खों के दिनांक 24.03.09 को दिये गये प्र0पी0-6 के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर करना बताई गई है। प्र0पी0-6 व 9 की कार्यवाही दिनांक 24.03.09 की है और प्र0पी0-6 मुताबिक मेमोरेण्डम कथन थाना गोहद चौराहा में दिन के 10.40 बजे लिया गया । तथा प्र0पी0-9 मुताबिक जप्ती की कार्यवाही दिन

के एक बजे की आरोपी के घर की बताई गई है जो पुरानी बस्ती पोरसा की बताई गई है। लेकिन पोरसा में जाने सं बंधी कोई रोजनामचासान्हा की नकल प्रकरण में पेश नहीं की गई है न ही उसके संबंध में अ0सा0-6 ने कोई साक्ष्य दी है। ऐसे में प्र0पी0-9 की जप्ती पंच साक्षियों के समर्थन न करने के आधार पर केवल विवेचक की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है।

22. आरोपी अब्बू उर्फ अवरार व ध्रुवसिंह की गिरफ्तारी दिनांक 10.03.09 को बताई गई। दि0 10.03.09 कासे ही प्र0पी0-5 क आरोपी अब्बू उर्फ अवरार का मेमोरेण्डम कथन लेना बताया गया है जिसके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें उपनिरीक्षक बी0एल0 बंसल अ0सा0-6 ने यह कहा है कि आरोपी अब्बू उर्फ अवरार को उसने प्र0पी0-2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किया था जिसका समर्थन आरक्षक जगराम सिंह भदौरिया अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में करते हुए दिनांक 10.03.09 की गिरफ्तारी बताई है। उसके संबंध में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं तथा पोरसा थाने से गिरफ्तारी होना भी अ0सा0-1 कहता है। ऐसे में प्र0पी0-2 की गिरफ्तारी के संबंध में अ0सा0-1 व 6 की समरूपता होने से वह प्रमाणित होती है तथा प्र0पी0-5 के संबंध में बी0एल0 बंसल अ0सा0-6 ने यह कहा है कि उसने आरोपी अब्बू उर्फ अवरार से पूछताछ करके उसका प्र0पी0-5 का मेमोरेण्डम कथन लिया था। जो उसने पैरा-4 में थाना पोरसा में लेना बताते हुए यह स्वीकार किया है कि थाना पोरसा व्यस्त बाजार में है वहाँ पर लोगों का आना-जाना रहता है और उसने प्र0पी0-5 में किसी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया है तथा थाना पोरसा में पूछताछ करने के संबंधमें कोई रोजनामचासान्हा भी प्रकरण में पेश नहीं किया गया है।

23. इस संबंध में अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि उसके सामने आरोपी अब्बू उर्फ अवरार ने मेमोरेण्डम कथन देते समय डिस्कवर मोटरसाईकिल एवं मोबाईल फोन को लूटने की जानकारी दी थी जिसका समर्थन आरक्षक गिर्राज अ0सा0-9 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण में किया है और अ0सा0-9 ने यह भी बताया है कि वह दिनांक 10.03.09 को थाना अंबाह में पदस्थ रहा जबकि प्र0पी0-5 मुताबिक आरक्षक गिर्राज को थाना पोरसा में पदस्थ होना कहा गया है। जहाँ पर आरोपी अब्बू उर्फ अवरार का मेमोरेण्डम कथन लेना बताया गया है। गिर्राज अ0सा0-9 ने पैरा-1 में उक्त दिनांक को ही थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ रहना कहा है। इस तरह से वह अपनी पदस्थापना के संबंधमें ही निश्चित नहीं है। उसने यह अवश्य कहा है कि मोटरसाईकिल पोरसा पुलिस द्वारा बरामद कराना अब्बू उर्फ अवरार ने बताया था जिसका उल्लेख प्र0पी0-5 में भी है। लेकिन अभिलेख पर लूटी गई मोटरसाईकिल डिस्कवर क्रमांक-एम0पी0-07एमएफ-2744 जिसका इंजन नंबर-54089 तथा चैसिस नंबर-45739 डिस्कवर-135 था वह किसके कब्जे से पुलिस को प्राप्त हुई। इससे संबंधित जप्ती पत्रक अभिलेख पर पेश नहीं है। हालांकि प्र0पी0-12 के मुताबिक डिस्कवर मोटरसाईकिल को आरक्षक रामनिवास से पुलिस गोहद चौराहा के द्वारा अग्रिम विवेचना में प्र0आर0 विनय दीक्षित के द्वारा जप्त करना बताया गया है। जिसके संबंध में ए0एस0आई0 हरनाथसिंह अ0सा0-8 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 15.03.09 को वह थाना गोहदचौराहा में आरक्षक था तब प्र0आर0 लेखक विनय दीक्षित के द्वारा काले रंग की डिस्कवर मोटरसाईकिल जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी जो थाना पोरसा में धारा-41 (1-4) जा0फौ0

के अपराध में जप्त थी उसे प्र०पी०-12 के द्वारा जप्त किया गया था। इससे यह तो अर्थ निकलता है कि मोटरसाइकिल लावारिस अवस्था में पोरसा पुलिस को प्राप्त हुई थी क्योंकि उक्त साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसे यह पता नहीं है कि मोटरसाइकिल किससे पकड़ी गयी थी। ऐसे में लूट की मोटरसाइकिल की बरामदगी के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिये धारा-27 साक्ष्य विधान के संबंध में आरोपी अब्बू उर्फ अवरार के संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य अ०सा०-1 व अ०सा०-6 एवं अ०सा०-9 के द्वारा दी गई है उसके आधार पर प्र०पी०-5 का मेमोरेण्डम कथन प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि स्वयं मेमोरेण्डम लेखकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि पोरसा थाना जिला मुरैना के व्यस्ततम बाजार में स्थित है और वहाँ लोगों का आवागमन रहता है। दिन के समय की कार्यवाही है। ऐसे में स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध हो सकते थे। वह साथ में भी ले जा सकता था किन्तु ऐसा कोई प्रयास न करके पुलिस कर्मियों को ही साक्षी बनाये जाने और उसका भी रोजनामचासान्हा पेश न करना संदेह उत्पन्न करता है। इसलिये प्र०पी०-5 को संदेह से परे नहीं माना जा सकता है।

24. आरोपी अब्बू उर्फ अवरार के संबंध में थाना गोहद चौराहा की पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान दिनांक 24.03.09 का पुनः धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन लिया जाना बताया गया है जिसने लूटे गये मोबाईल नोकिया-एन-95 को उसके द्वारा अपने घर में बक्से में रखे जाने की जानकारी दी गई। यह जानकारी कि एन-95 नोकिया मोबाईल आरोपी अब्बू उर्फ अवरार के घर में बक्से में रखा है, यह जानकारी साक्ष्य में ग्राह्य तो है किन्तु वह तभी संभव है जबकि मेमोरेण्डम और जप्ती पत्रक कड़ी के रूप में जुड़ते हों और उसके बारे में स्पष्ट और सुदृढ़ साक्ष्य अभिलेख पर आये। किन्तु एन-95 नोकिया मोबाईल के संबंध में जो अभिलेख पर साक्ष्य आई है उसमें उपनिरीक्षक बी०एल० बंसल अ०सा०-6 ने यह बताया है कि दिनांक 24.03.09 को अब्बू उर्फ अवरार ने पूछताछ करने पर उसे अपने हिस्से में मिले मोबाईल नोकिया-95 घर में बक्से में छिपाकर रखना तो बताया था जिसके आधार पर उससे जप्ती भी उसने की थी। प्र०पी०-6 व 9 से संबंधित सभी साक्षी प्रकरण में पेश किये गये हैं।

25. प्र०पी०-6 के संबंध में आरक्षक जगरामसिंह अ०सा०-1 ने पैरा-3 में अ०सा०-6 का समर्थन किया है। किन्तु उसके संबंध में पैरा-9 में उसने यह बताने में असमर्थता व्यक्त की है कि उक्त मेमोरेण्डम कथन पर किन किन साक्षियों ने दिनांक 24.03.09 को हस्ताक्षर किये थे। यह भी स्वीकार किया है कि उक्त दिनांक को मेमोरेण्डम में आरोपी अब्बू ने क्या जानकारी दी थी, यह उसे याद नहीं है। क्योंकि काफी समय हो गया है। जबकि मुख्य परीक्षण में वह पैरा-3 में पूरी जानकारी बताता है। ऐसे में वह इस बिन्दु पर अस्थिर साक्षी है। और प्र०पी०-6 के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिये प्र०पी०-6 को भी प्र०पी०-9 के प्रमाणित न होने से उपनिरीक्षक बी०एल० बंसल अ०सा०-6 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

26. जहाँ तक आरोपी ध्रुवसिंह की संलिप्तता का प्रश्न है, उसके संबंध में उससे संबंधित दस्तावेज प्र०पी०-3 व 7 हैं जिसमें प्र०पी०-3 के मुताबिक उसे दिनांक 19.03.09 को ही थाना अंबाह से गिरफ्तार किया जाना बताया गया है। जिसके संबंध में आरक्षक जगराम सिंह अ०सा०-1 और आरक्षक परशुराम अ०सा०-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में अ०सा०-6 का समर्थन किया है और

गिरफ्तारी के संबंध में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं। उक्त तीनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य से आरोपी ध्रुवसिंह की थाना अंबाह से विचाराधीन अपराध में औपचारिक गिरफ्तारी तो प्रमाणित होती है किन्तु उसे मेमोरेण्डम कथनों में आये तथ्यों के आधार पर प्रकरण में अभियोजित किया गया है। तथा स्वयं आरोपी ध्रुवसिंह ने भी प्र०पी०-7 का मेमोरेण्डम कथन लिया जाना बताया गया है इसलिये प्र०पी०-7 के संबंध में भी साक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा।

27. प्र०पी०-7 के संबंध में भी पंच साक्षियों में आरक्षक जगरामसिंह अ०सा०-1 और आरक्षक परशुराम अ०सा०-10 ही हैं। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जबकि उसके संबंध में बी०एल० बंसल अ०सा०-6 के द्वारा पैरा-5 में यह स्वीकार किया है कि उसने ध्रुवसिंह की अंबाह थाने में जाकर फॉर्मल गिरफ्तारी की थी। मेमोरेण्डम लिया था लेकिन थाना अंबाह आने जाने संबंधी रोजनामचा रवानगी वापिसी का प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। हालांकि वह इस बात से इन्कार करता है कि रोजनामचासान्हा इस उसने प्रकरणमें पेश नहीं किया कि वह वास्तव में नहीं गया था किन्तु पुलिस की कोई कार्यवाही रोजनामचासान्हा से पुष्ट होती है। ऐसे में जब किसी अनुसंधान के लिये थाने पर जाया जाता है तो उसका रोजनामचासान्हा में इन्द्राज किया जाता है और इस प्रकरण में विभिन्न थानों पर जाकर कार्यवाही हुई है जैसी कि अब्बू उर्फ अवरार की पोरसा थाने में कार्यवाही की गई, गिरफ्तारी मुरैना कोर्ट से हुई। ध्रुवसिंह की भी गिरफ्तारी अंबाह थाने से हुई और उसका मेमोरेण्डम कथन वहीं पर लिया गया। जिसमें यह जानकारी भी दी गई थी कि मोटरसाईकिल उसके घर से पोरसा पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई। ऐसे में लूटी गई मोटरसाईकिल की बरामदगी यदि आरोपी ध्रुवसिंह के घर से होने संबंधी प्रमाण पेश किया जाता तो प्र०पी०-7 के मेमोरेण्डम कथन को कड़ी के रूप में जोड़ा जा सकता था किन्तु आरोपी ध्रुवसिंह के घर से मोटरसाईकिल की जप्ती हुई, इस बारे में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है बल्कि हरनाथसिंह अ०सा०-8 के मुताबिक तो लावारिस अवस्था में मोटरसाईकिल की बरामदगी द०प्र०सं० की धारा-41 (1-4) के अंतर्गत होना बताई गई है। ऐसे में प्र०पी०-7 के मेमोरेण्डम कथन को आरक्षक जगराम सिंह अ०सा०-1 व प्र०आ० परशुराम अ०सा०-10 और ए०एस०आई० बी०एल० बंसल अ०सा०-6 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और उनकी साक्ष्य को इस संबंध में विश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है।

28. इस प्रकार से अभिलेख पर अभियोजन की ओर से जो साक्षी पेश किये गये हैं उनकी अभिसाक्ष्य इस प्रकृति की नहीं आई है जो कि विचाराधीन आरोपीगण अब्बू उर्फ अवरार और ध्रुवसिंह को प्र०पी०-10 की एफ०आई०आर० में बताई गई घटना से जोड़ती हो। इसलिये उनके संबंध में अभियोजन का मामला पूरी तरह से संदिग्ध हो जाता है और युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 23.03.09 का दिन के करीब 12.00 बजे आरोपी अब्बू उर्फ अवरार एवं ध्रुवसिंह ने किन्हीं अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर डकैती प्रभावित क्षेत्र ग्राम छीमका बूटीकुईया के आगे भिण्ड ग्वालियर रोड़ राजमार्ग पर फूटे होटल के सामने ग्वालियर की ओर फरियादी केशवसिंह एवं अनिल उर्फ कल्लू को डिस्कवर-135 काले रंग की मोटरसाईकिल क्रमांक- एम०पी०-07-एम०एफ०-2744 जिसका इंजन नंबर-54089 तथा चैसिस नंबर-45739 था, उसकी एवं दोनों पीड़ितों से उनके मोबाईल फोन की राजमाग पर आग्नेय शस्त्र

कट्टे का उपयोग करते हुए लूटकारित की।

29. फलतः आरोपी अब्बू उर्फ अवरार एवं ध्रुवसिंह को धारा-392 सहपठित धारा-398 भा0द0वि0 एवं 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

30. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

31. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल डिस्कवर-135 कैलाशीबाई पत्नी बद्रीप्रसाद जाटव जो कि फरियादी केशव की माँ, है उसके पास सुपुर्दगी पर है और मोबाईल फोन भी फरियादी को प्राप्त हो गये हैं किन्तु अभी आरोपी पपेन्द्र फरार हैं इसलिये सुपुर्दगीनामा और फरियादी को सुपुर्दगी पर प्राप्त संपत्ति के संबंध में कोई अन्यथा या अंतिम आदेश नहीं किया जा रहा है।

32. निर्णय की प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: **11.12.2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड